



“हमारे अपने” पटेल, गांधी व नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी

सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक में यह प्रस्ताव पारित करके, कांग्रेस ने यह मैसेज भी दिया, कि वह अभी भी इतिहास में जी रही है, और ऐतिहासिक विरासत के लिए संघर्ष कर रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 अप्रैल। बहुत सालों के बाद कांग्रेस नींद से जागी है और उसे यह समझ में आया है कि भाजपा ने सरदार पटेल व महात्मा गांधी की विरासत को हथिया लिया है। इसी के मद्देनजर सी.डब्ल्यू.सी. ने “हमारे” सरदार पटेल पर प्रस्ताव पारित किया जिसमें पार्टी ने स्पष्ट किया कि गांधी और नेहरू के साथ सरदार पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी तथा भाजपा उनके बारे में झूठ फैला रही है।

भाजपा ने लगातार यह कहा है कि पटेल और नेहरू के बीच गंभीर मतभेद थे लेकिन अब कांग्रेस ने मजबूती से यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि तीनों नेता बहुत नजदीक थे, उन्होंने साथ मिलकर काम किया तथा महात्मा गांधी की हत्या के बाद, वो पटेल ही थे जिन्होंने आर.एस.एस. पर प्रतिबंध लगाया।

कांग्रेस अतीत के साथ ही रहना चाहती है। वह ऐसे समय पर भी गुजरात की धरती पर गांधी और पटेल का आन्हान कर रही है, जब उसे अपने पुनर्निर्माण पर फोकस करना चाहिए,

- जबकि, उसका फोकस होना चाहिए पार्टी के पुनर्निर्माण पर।
- कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इसीलिए अपने सम्बोधन में जोर दिया कि जब तक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा दुरुस्त नहीं होता, पार्टी चुनाव नहीं जीत सकेगी।
- उनके अनुसार सन् 2025, पार्टी के संगठन को पटरी पर लाने के लिए समर्पित होना चाहिये। पर, इस दिशा में कोई प्लान नहीं है, राहुल गांधी का, डी.सी. सी.ओ. को मजबूत बनाने के अलावा।
- कल राष्ट्रीय मुद्दों पर तथा 2027 में निश्चित गुजरात के विधानसभा चुनावों के बारे में प्रस्ताव लाया जायेगा।
- राहुल गाँधी ने कहा, विधानसभा चुनावों में पार्टी, भाजपा से गुजरात को छीन लेगी, तथा सरकार बनायेगी। पर, इस घोषणा की क्रियान्विति के लिये जमीन पर कोई तैयारी नहीं दिख रही हैं।

क्योंकि वह इस समय भीषण संकट में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने भाषण में उस समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया, जब उन्होंने कहा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होता, संख्या का कोई महत्व नहीं है तथा पार्टी चुनाव नहीं

जीत पायेगी। वर्ष 2025 संगठन को व्यवस्थित करने का वर्ष है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, सिवाय इसके कि राहुल गांधी जिला कांग्रेस कमेटियों को सशक्त बनाना तथा उन्हें और अधिक अधिकार

देना चाहते हैं।
के.सी. वेणुगोपाल कहते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करना चाहती है तथा इस पर काम शुरू हो गया है।

राहुल गांधी पार्टी में दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लाना चाहते हैं। इससे उनका एजेंडा पूरा हो जायेगा तथा पार्टी मजबूत हो जायेगी।

कल एक प्रस्ताव राष्ट्रीय मामलों पर तथा एक प्रस्ताव गुजरात पर लाया जायेगा, जहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी यह घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस गुजरात में जीतीगी तथा भाजपा से इस राज्य को छीन लेगी।

अब तक ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं दिये हैं। दरअसल, राहुल जो कहते हैं, उसे क्रियान्वित नहीं करते तथा जहाँ जरूरी है, वहाँ सर्जरी अभी शुरू भी नहीं हुई है।

ऐसे और भी वादे किये जाने हैं, और भी निर्णय जल्दी ही लिये जाने हैं, लेकिन वे जमीन पर नहीं उतरते, क्योंकि पार्टी जो कहती है, उसे क्रियान्वित नहीं करती।

कांग्रेस अधिवेशन में चिदंबरम् की तबियत बिगड़ी

अहमदाबाद, 08 अप्रैल। कांग्रेस अधिवेशन में वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की तबीयत भारी गर्मी के कारण आज शाम बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की यहाँ पटेल स्मारक पर दिन में हुई बैठक में चिदंबरम ने हिस्सा

- उनके पुत्र कार्ति ने बताया कि भारी गर्मी के कारण तबियत बिगड़ने पर उन्हें जायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब वे सामान्य हैं।

लिया तो चिलचिलाती धूप में बैठक कक्ष की तरफ जाते हुए वह असहज लग रहे थे। शाम को साबरमती आश्रम में प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होने गए तो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा सदस्य तथा चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा "मेरे पिता पी चिदंबरम को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिंदा बम कांड के चार अभियुक्तों को उम्रकैद

जयपुर, 8 अप्रैल। जयपुर बम कांड मामलों की विशेष अदालत 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में चार अभियुक्तों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 6.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गत 4 अप्रैल को दोनों पक्षों को बहस सुनकर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी शाहबाज हुसैन के वकील मुजाहिद अहमद ने

- अदालत ने अभियुक्तों पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शायराना अंदाज में कहा कि, “तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है, गलती हमारी ही निकलेगी।” इस पर पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि “कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी किया होगा। सबसे बड़ा कोर्ट हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत, उसे सब पता होता है, राह गलत नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है।”

अदालत की ओर से गत सुनवाई को चारों ओरोपियों को दोष सिद्ध करने के बाद मंगलवार को चारों अभियुक्तों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘देश के संविधान में “पूर्ण वीटो” या “पॉकेट वीटो” का कोई प्रावधान नहीं है’

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू के राज्यपाल के खिलाफ निर्णय दिया और कहा राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है, असैम्बली द्वारा पारित विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई कार्यवाही नहीं करने का

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अप्रेल। ऐसा लगता है कि सितारे भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की राजनीति की शिखर पर पहुँचाने में लगे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए दोषी ठहराया है और इससे विधानसभा चुनावों से पूर्व स्टालिन की छवि और ज्यादा चमक गई है।

ऐसा लगता है स्टालिन का नेतृत्व अब तमिलनाडु की सीमा के बाहर भी पहुँच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टालिन ने कहा कि यह न केवल तमिलनाडु की जीत है बल्कि उन सभी राज्य सरकारों की जीत है, जो राज्यपाल के हथौड़े पीड़ित हैं।

स्टालिन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य की स्वायत्ता के लिए बड़ी

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्यपाल को अधिकतम तीन माह में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय ले ही लेना चाहिए।

- राज्यपाल की ओर से पैरवी करते हुए एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी ने दलील दी कि, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक उन कानूनों के खिलाफ थे, जो लोकसभा द्वारा पारित हैं, अतः राज्यपाल उन विधेयकों के राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे थे।

- पर एटॉर्नी जनरल की यह दलील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, और तीन माह का अधिकतम समय दिया, विधेयकों पर निर्णय लेने का।

जीत है और वे संघवाद के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

न्यायिक जीत से मुख्यमंत्री छवि और बेहतर हुई है और चुनाव पूर्व यह फैसला आना उनके लिए अच्छी खबर

है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह उजागर कर दिया है कि राज्यपाल गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और जो शक्तियाँ उन्हें प्राप्त नहीं हैं उन्होंने भी हथियाना चाहते हैं। तमिलनाडु की

जनता सब देख रही है।

मंगलवार को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल ने गैरकानूनी तरीके से आचरण किया और राज्य विधानसभा ने सहमति के लिए उन्हें जो विधेयक भेजे थे, उन्हें रोक कर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डाली है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का आचरण अवैध है।

जस्टिस पारदीवाला जिन्होंने यह फैसला लिखा है, ने कहा जब राज्यपाल को कोई बिल भेजा जाता है तो धारा 200 के तहत उसके पास तीन विकल्प होते हैं। मंजूरी दें या मंजूरी रोके और आपत्ति होने पर बिल राष्ट्रपति के पास भेज दें, आर्टिकल 200 में “शीफ्रातिशीत्र” शब्द डाला गया है और राज्यपाल को बिल रोकने की अनुमति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 8 अप्रैल । अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा की एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) के पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में पद्मेश मिश्रा और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

- हाई कोर्ट में पद्मेश मिश्रा को एएजी नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील समर्दड़िया ने अपील में कहा है कि राज्य सरकार ने विधि नीति में बेतरतीब और मनमाने तरीके से बदलाव करते हुए पद्मेश मिश्रा को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में जिस तरीके से विधि नीति में संशोधन किए गए हैं, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पार्टी के इन गुंडों ने इन हैरान-पेरेशन और उत्तेजित स्कूली शिक्षकों की पिटाई कर दी तथा उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया था।

उल्लेखनीय है कि राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहुत नजदीक हैं, शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में जेल में पड़े हैं। उनके विभिन्न ठिकानों और उस फ्लैट, जहां उनकी कथित “गलफ्रेंड” रहती थी, पर पड़ोई रेड में करीब 60 करोड़ रु. नकद पाये गये थे।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी गई है, के बाद बड़ी अशोभनीय स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि ये 26000 शिक्षक अचानक सड़कों पर आ गये हैं तथा शासन-प्रशासन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उच्च पदस्थ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पा रहें। उन्होंने बर्खास्त स्कूली शिक्षकों की एक मीटिंग कलकत्ता के इनडोर स्टेडियम में बुलाई थी। लेकिन इस मीटिंग स्थल में प्रवेश को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

तृणमूल के गुंडों ने कथित रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को 500 रु. में ऐन्ट्री पास बेचे थे।

ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का निधन

आबू रोड (सिरोही), 08 अप्रैल। महिला शक्ति संगठन ब्रह्मकुमारीज की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी का सोमवार देर रात निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थीं।

दादी रतनमोहिनी ने गुजरात में अहमदाबाद के जाईडिस अस्पताल में

- दादी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे तथा मु.मंत्री भजनलाल व अन्य प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया।

कल देर रात एक बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिडला, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अंजन राॅय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 अप्रेल। बंगाल की राजनीति में एक बार पुनः बड़ी उथल-पुथल पैदा हो गई है। इस स्थिति के पीछे 26000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्तियां रह कर दिये जाने के कारण पैदा हुआ विवाद है। इन नियुक्तियों में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई थीं। इस पूरे विवाद तथा इस संकट से संबंधित घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि बहुत ज्यादा खराब कर दी है।
स्थिति बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में काम कर रहे ये 26000 शिक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, एक ही झटके में सरकारी सेवा से हटा दिये गये हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को,

कुछ वकीलों और अन्य प्रभावित लोगों की शिकायत पर, पहले ही रह कर दिया था। इन लोगों की शिकायत थी कि स्कूल सर्विस कमीशन (एस एस सी) द्वारा किये गये स्कूली शिक्षकों के चयन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

इन अनियमितताओं की धधक और तपन, अन्य अधिकांश मामलों की तरह, राज्य की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी पहुंची है। सरकार की मुखिया होने के साथ ही, शिक्षा विभाग की प्रमुख होने के नाते, मुख्यमंत्री इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराई गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ममता बनर्जी इस विस्फोट के प्रभाव को राजनैतिक रूप से नियन्त्रित करने की हर संभव कोशिश कर रही